उत्तर प्रदेश शासन

नियोजन अनुभाग-1

संख्याः 95/2025/109ई0पी0सी0/35-1-2025

लखनऊः दिनांकः 09 मई, 2025

कार्यालय-ज्ञाप

वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025- 231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025में निर्गत शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में ई0पी0सी0 मोड के अन्तर्गत परियोजनाओं के लिये तैयार किये जाने वाली प्रोजेक्ट रिपोर्ट/आगणन हेतु अनुदान संख्या-40 के लेखाशीर्षक-**"3451-सचिवालय आर्थिक सेवायें-092-अन्य कार्यालय-08-ई0पी0सी0 मोड के अन्तर्गत परियोजना के लिये तैयार की जाने वाली प्रोजेक्ट रिपोर्ट/आगणन के भुगतान एवं परियोजना के डी0पी0आर0 तैयार किये जाने से लेकर परियोजना के क्रियान्वयन एवं मॉनीटरिंग हेतु गठित तकनीकी सेल"**के सुसंगत इकाईयों के अन्तर्गत धनराशि रू0 480.10 लाख(रू0 चार करोड़ अस्सी लाख दस हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये निम्न तालिका में उल्लिखित मदों के समक्ष अंकित धनराशि-सीमासहित, वचनबद्ध एवं आवश्यक व्ययों को वहन करने हेतु आहरण-वितरण अधिकारी, नियोजन सचिव शाखा, के निवर्तन पर रखेजाने श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः-

(रू0 लाख में)

क्र0सं0	कोड नं0	मद का नाम	वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु कुल स्वीकृत धनराशि
1	**2**	**3**	**4**
1	01	वेतन	210.00
2	03	मंहगाई भत्ता	126.00
3	04	यात्रा व्यय	2.00
4	05	स्थानान्तरण यात्रा व्यय	5.00
5	06	अन्य भत्ते	10.00
6	07	मानदेय	5.00
7	08	कार्यालय व्यय	10.00
8	11	लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	5.50
9	12	कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	5.50
10	13	टेलीफोन पर व्यय	1.60
11	15	गाडियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	30.00
12	42	अन्य व्यय	5.00
13	46	कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	10.00
14	47	कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	5.50
15	49	चिकित्सा व्यय	8.00
16	55	मकान किराया भत्ता	6.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

17	58	आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	35.00
योग			**480.10**

(रूपये चार करोड़ अस्सी लाख दस हजार मात्र)

3. उपरोक्त वित्तीय स्वीकृति निम्न शर्तों एवं प्राविधानों के अधीन निर्गत की जायेगी:-

1. विभिन्न मदो के अंतर्गत बजट में प्राविधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/वितरित धनराशि के सापेक्ष किए गए व्यय पर नियंत्रण के संबंध में शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94 दिनांक 06 जून, 1994 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2. व्यय प्रबंधन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों/निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैंडर्डस आफ फाइनेंनसियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

3. आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण, तत्काल व्यय/भुगतान की आवश्यकता होने पर ही किया जाय।

4. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025- 231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में दिए गए निर्देशों/शर्तों का कड़ाई से अनुपालन किया जाय।

5. राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान कार्यालय महालेखाकार, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यतः कराया जाय तथा स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन अनुभाग-1 को प्रेषित किया जाय।

6. उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय शासन के वर्तमान नियमों एवं आदेशों के अनुसार किया जायेगा और जहां आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति भी प्राप्त की जायेगी। स्थानान्तरण यात्रा व्यय, कार्यालय व्यय, लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई, कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण, टेलीफोन पर व्यय तथा गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद पर व्यय मितव्ययता संबंधी आदेशों के अनुसार किया जाए तथा उन मदों में आवंटित धनराशि से अधिक धनराशि का व्यय कदापि न किया जाय। उक्त धनराशि का व्यय वित्त विभाग द्वारा निर्गतकार्यालय संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 एवं इस संबंध में समय-समय पर जारी सुसंगत शासनादेशों में उल्लिखित शर्तो एवं प्राविधानों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाए।

7. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं मदों पर किया जायेगा, जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में न ही इसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका व्यावर्तन किया जाय।

4. उक्तानुसार चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में नियोजन विभाग कीअनुदान संख्या-40 के लेखाशीर्षक-**"3451-सचिवालय आर्थिक सेवायें-092-अन्य कार्यालय-08-ई0पी0सी0 मोड के अन्तर्गत परियोजना के लिये तैयार की जाने वाली प्रोजेक्ट रिपोर्ट/आगणन के भुगतान एवं परियोजना के डी0पी0आर0 तैयार किये जाने से लेकर परियोजना के क्रियान्वयन एवं मॉनीटरिंग हेतु गठित तकनीकी सेल"** के नामे डाला जायेगा।

5. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में दिये गये निर्देशानुसार जारी किये जा रहे हैं।

(राजेन्द्र प्रसाद)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या: 95/2025/ई0पी0सी0109/35-1-2025 तद्दिनांक:-

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1)महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।

(2)महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।

(3)वरिष्ठ आडिट अधिकारी (आडिट प्लानिंग) कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम सत्यनिष्ठा भवन 15 थार्नहिल रोड, प्रयागराज।

(4)वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

(5)आहरण-वितरण अधिकारी, नियोजन सचिव शाखा।

(6)मुख्यअभियन्ता,तकनीकी सेल, ई0पी0सी0 मिशन, नियोजन विभाग।

(6)वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5, उ0प्र0 शासन।

(7)वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2 उत्तर प्रदेश शासन।

(8)अनुभाग अधिकारी, नियोजन (लेखा) अनुभाग।

(9)गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(राजेन्द्रप्रसाद)

संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।